प्रकरण कमांक–4349/18 गौकरण साहू वि0 चांद अहमद.

नोट–परिवादी साक्षी गौकरण साहू को आज दिनांक–17.03.2020 को पुनः शपथ दिलाई जाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय–04:00 बजे–

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री हेमंत कुमार शर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

07. मै अभियुक्त को पुराना घरेलू संबंध होने से जानता हूं। मुझसे अभियुक्त के द्वारा घरेलू आवश्यकता हेतु चार लाख रूपये की मांग की गई थी। मैने वह चार लाख रूपये अभियुक्त को नगद प्रदान किया था। आरोपी ने मुझे यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया पंडरी शाखा का चेक कमांक–827220 दिया था। मैने विधिक सूचना चांद अहमद के नाम पर उनके पते में प्रेषित की थी, उसमे क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम।

08. मैने आरोपी को दिनांक–04.04.17 को चार लाख रूपये नगद प्रदान किये थे। यह कहना गलत है कि चार लाख रूपये का जो सुरक्षा के तौर पर चेक आरोपी ने मुझे दिया था उसमे रकम व नाम बाबूल यादव ने लिखा था मुझे नहीं मालूम। स्वतः कहा कि उक्त चेक में नाम, राशि का उल्लेख पहले से था।

09. मै जमीन खरीदी बिक्री का दलाली/कमीशन का कार्य करता हूं। परंतु यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उसके संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि मैने जमीन खरीदी बिक्री के संबंध में कोई लेखाबही या आयकर विवरणी पेश नहीं किया हूं।

10. मै बाबूल यादव पिता भूपेन्द्र प्रसाद यादव मच्छी तालाब गुढियारी को जानता हूं। वो भी जमीन दलाली का काम करता है। यह कहना गलत है कि मै बाबूल यादव के यहां नौकरी करता हूं। यह कहना सही है कि सतीश सेन को जानता हूं वो भी जमीन दलाली का काम करता है। साक्षी अब कहता है कि सतीश सेन जमीन दलाल का काम नहीं करता है आरोपी के साथ आना जाना करते है। चांद अहमद, सतीश सेन, बाबुल यादव के आफिस में आते जाते है और वहीं बैठे रहते है।

11. मुझे नहीं मालूम कि सतीश सेन ने बाबूल यादव से तीन लाख पैंतीस हजार रूपये प्राप्त किये थे। मै नही जानता कि उपरोक्त तीन लाख पैंतीस हजार के लेनदेन के संबंध में सतीश सेन के कहने पर अभियुक्त के द्वारा सुरक्षा बतौर कोरा चेक बाबूल यादव को दिलाया गया था।

12. मुझे याद नहीं है कि उपरोक्त तीन लाख पैंतीस हजार रूपये के लेनदेन में एक एग्रीमेंट सतीश सेन के द्वारा तैयार करवाया गया था, जिसमे गवाह के रूप में मेरा हस्ताक्षर मेरे द्वारा किया गया है या नहीं, हो सकता है मैने हस्ताक्षर किया हो या नहीं किया हो।

13. प्रकरण में मेरे द्वारा मेरे पास उपलब्ध चेक, विधिक सूचना, एग्रीमेंट अन्य दस्तावेज मेरे वकील को मैने प्रदान कर दिया था। यह कहना गलत है कि मेरा आरोपी के साथ कोई लेनदेन नही है, मैने बाबूल यादव के कहने पर यह चेक लगाया है। यह कहना गलत है कि बाबूल यादव ने चेक मुझे दिया था इसलिए मैने झूठा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

14. चेक में किया गया साईन चांद अहमद के द्वारा अंग्रेजी में किया है। यह कहना सही है कि चेक में उल्लेखित नाम व राशि हिंदी में उल्लेखित है। मै नहीं बता सकता कि चेक में लिखा गया नाम व रकम जो हिंदी में लिखा गया है वह किसकी हस्तलिपि में है।

प्रतिपरीक्षण समाप्त।

समय–04:20 बजे।

वांचित/सत्य स्वीकृत

सही/–

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करती हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नामः– श्रीमती करूणा हंसा

प्रकरण कमांक–5537/18 दैनिक भास्कर वि0 किरण कुमार साहू

Witness No-----01---for-----परिवादी साक्ष्य------ Deposition taken the date-17-02-2020- day of मंगलवार Witness apparent age-56Year

States on affirmation- शपथ पूर्वक My name –..अजय बनिक पिता–.....स्व0 श्री संतोष बनिक..... .-occupation. .....नौकरी..... address – दैनिक भास्कर रजबंधा मैदान जी0 ई रोड रायपुर छ0ग0.....

नोट–साक्षी के द्वारा शपथ पत्र का बयान अंतर्गत धारा–145 परकाम्य लिखत अधिनियम दिनांक–23.01.2018 को पेश किया जिसकी कंडिका 1 से 11 तक सही होना स्वीकार किया है। साक्षी को आज शपथ दिलाई जाकर साक्ष्यिक परीक्षण प्रांरभ किया गया।

12. मेरे द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों की छायाप्रति पूर्व में पेश की गई थी। जिनका मूल आज मै लेकर आया हूं। अभियुक्त द्वारा परिवादी संस्था को जारी किया गया चेक क्र. –003889 दिनांक–22.11.2017 राशि 1,05,000/– रूपये (अक्षरी एक लाख पॉच हजार रूपये) प्र0पी–1 है, जिसके अ से अ भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। बैक द्वारा जारी चेक अनादरण रिटर्न मेमो दिनांक–11.12.2017 प्र0पी–2 है। अभियुक्त को प्रेषित मांग सूचना पत्र प्र.पी–3 है। उसकी पोस्टल रसीद/डाक रसीद प्र0पी–4 है। उक्त मांगपत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्र.पी–5 है। परिवादी संस्था द्वारा जारी किया गया कार्यालयीन अधिकार पत्र दिनांक–22.03.2011 की मूल प्रति प्र0पी–6 है जिसकी छायाप्रति प्रति प्र0पी–6सी है।

नोट–मूल कार्यालयीन अधिकार पत्र प्र0पी–6 का प्रकरण में संलग्न छायाप्रति से मिलान किया गया सही होना पाए जाने पर प्र0पी–6सी अंकित की गई। मूल परिवादी को वापस प्रदान की गई तथा छायाप्रति प्र0पी–6सी अभिलेख में संलग्न किया गया।

नोट–आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण हेतु समय चाहा। विचारबाद न्यायहित में स्वीकृत। परिवादी साक्षी का प्रतिपरीक्षण आगामी पेशी तिथि के लिए अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

वांचित/सत्य स्वीकृत मेरे निर्देश पर टंकित

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

—

साक्षी के हस्ताक्षर.....

प्रकरण कमांक–5539/18 दैनिक भास्कर वि0 किरण कुमार साहू

Witness No-----01---for-----परिवादी साक्ष्य------ Deposition taken the date-17-02-2020- day of मंगलवार Witness apparent age-56Year

States on affirmation- शपथ पूर्वक My name –..अजय बनिक पिता–.....स्व0 श्री संतोष बनिक..... .-occupation. .....नौकरी..... address – दैनिक भास्कर रजबंधा मैदान जी0 ई रोड रायपुर छ0ग0.....

नोट–साक्षी के द्वारा शपथ पत्र का बयान अंतर्गत धारा–145 परकाम्य लिखत अधिनियम दिनांक–23.01.2018 को पेश किया जिसकी कंडिका 1 से 11 तक सही होना स्वीकार किया है। साक्षी को आज शपथ दिलाई जाकर साक्ष्यिक परीक्षण प्रांरभ किया गया।

12. मेरे द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों की छायाप्रति पूर्व में पेश की गई थी। जिनका मूल आज मै लेकर आया हूं। अभियुक्त द्वारा परिवादी संस्था को जारी किया गया चेक क्र. –003890 दिनांक–30.11.2017 राशि 1,34,534/– रूपये प्र0पी–1 है, जिसके अ`से अ भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। बैक द्वारा जारी चेक अनादरण रिटर्न मेमो दिनांक–11.12.2017 प्र0पी–2 है। अभियुक्त को प्रेषित मांग सूचना पत्र प्र.पी–3 है। उसकी पोस्टल रसीद/डाक रसीद प्र0पी–4 है। उक्त मांगपत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्र.पी–5 है। परिवादी संस्था द्वारा जारी किया गया कार्यालयीन अधिकार पत्र दिनांक–22.03.2011 की मूल प्रति प्र0पी–6 है जिसकी छायाप्रति प्रति प्र0पी–6सी है।

नोट–मूल कार्यालयीन अधिकार पत्र प्र0पी–6 का प्रकरण में संलग्न छायाप्रति से मिलान किया गया सही होना पाए जाने पर प्र0पी–6सी अंकित की गई। मूल परिवादी को वापस प्रदान की गई तथा छायाप्रति प्र0पी–6सी अभिलेख में संलग्न किया गया।

नोट–आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण हेतु समय चाहा। विचारबाद न्यायहित में स्वीकृत। परिवादी साक्षी का प्रतिपरीक्षण आगामी पेशी तिथि के लिए अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

वांचित/सत्य स्वीकृत

मेरे निर्देश पर टंकित

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0) __

साक्षी के हस्ताक्षर.....

प्रकरण कमांक–69/18 रिजवी तनवीरूद्दीन वि0 मो0 हामिद.

नोट–साक्षी रिजवी तनवीरूद्दनी को आज पुनः शपथ दिलाई जाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री महेशमणी साहू अधिवक्ता वास्ते आरोपी

09. मै राजधानी बुक डिपो के नाम गोल बाजार रायपुर में व्यवसाय करता हूं। मेरा उक्त कारोबार प्रोपराईटरशीप फर्म है जिसका प्रोपराईटर मै स्वयं हूं।

10. मै आयकर दाता हूं। मेरा पेन नंबर ए जी आई पी टी 7480पी है। यह कहना सही है कि मै अपना आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष भरता हूं। यह कहना सही है कि मै अपने आयकर विवरणी में अपने सभी वित्तीय संव्यवहारों का उल्लेख करता हूं। यह कहना सही है कि वर्तमान प्रकरण में मै अपने प्रश्नागत तात्कालीन समय का आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मै इस प्रकरण में हुए संव्यवहार का उल्लेख अपने आयकर विवरणी में नहीं किया हूं इसलिए आयकर विवरण इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। मै आरोपी को 2016 में ऋण दिया था। उक्त वर्ष मै आयकर विवरणी पेयी नहीं था।

11. मै लगभग 8–10 वर्षो से राजधानी बुक डिपो में व्यवसाय कर रहा हूं। मुझे इस बात की जानकारी उस समय नहीं था कि बीस हजार रूपये से अधिक की नगद राशि का लेनदेन अपराध है या नहीं। आरोपी मेरी सगे बुआ का लडका है। यह कहना सही है कि वर्ष 2016 में मै आरोपी के सास का मकान क्रय किया था। स्वतः कहा कि आरेापी की सास मेरी भी बुआ है।

12. यह कहना गलत है कि तात्कालीन समय में आरोपी की सास जो मेरी बुआ है एवं उसकी बेटी ने उक्त मकान को बेचने से मना कर दिया था।

13. मै वर्ष 2016 में आरोपी को उधार दिया था।

प्रश्न–आपने आरोपी को कितने दिन के लिए उधार दिया था ?

उत्तर–आरोपी ने मुझे जल्द से जल्द उधार को वापस कर दूंगा का आश्वाासन दिया था। स्वतः कहा कि एक लाख रूपये लेते वक्त स्टांप पेपर में लिखकर दिया था।

14. यह कहना सही है कि जब स्टांप पेपर में लिखकर दियाा उस समय भी कितने दिन में वापस करूंगा नहीं बताया था और जल्द से जल्द वापस कर दूंगा बोला था। स्वतः कहा कि स्टांप पेपर में वापस करने की समय सीमा लिखकर दिया था।

15. आज मुझे यह याद नहीं है कि आरोपी ने स्टांप पेपर में कितने दिन के भीतर रकम वापसी का लेख किया था।

16. यह कहना गलत है कि मै ब्याज में पैसे बांटने का काम करता हूॅ। यह कनहा सही है कि मेरे इस प्रकरण के अलावा अन्य चेक अनादरण के प्रकरण न्यायालय में लंबित है। साक्षी अब कहता है कि वर्तमान में अभी नहीं है लेकिन मै व्यवसायी हूं तो चेक से लेनदेन करते रहता हूं।

17. यह कहना गलत है कि आरोपी ने स्टांप में लिखकर देने दिनांक को प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रदान किया था। यह कहना सही है कि आरोपी को दुबारा रकम उधार दिये जाने के समय पहली बार जैसा लिखा पढी किये थे वैसा कोई लिखापढी नहीं किया। स्वतः कहा कि आरोपी के द्वारा चेक दिया था।

18. यह कहना सही है कि दूसरी बार उधार की राशि दिये जाते समय उधार देने एवं बदले में चेक दिये जाने के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी स्वतः कहा पूर्व के राशि एवं बाद के राशि को शामिल करते हुए चेक मुझे दो लाख रूपये प्रदान किया था।

19. यह कहना सही है कि दोनों रकम को शामिल करते हुए चेक दिये जाने के संबंध में कोई लिखापढी नही हुआ है। स्वतः कहा कि पिछले लिये गये एक लाख रूपये एवं बाद में लिये एक लाख रूपये को आरोपी ने शामिल करते हुए चेक प्रदान किया था।

20. यह कहना सही है कि मै अपने व्यवसायिक संस्थान में मै स्वयं बैठता हूं। यह कहना सही है कि जो भी लेन देन मै करता हूं उसके संबंध में डायरी व

खाता संधारित करता हूं। यह कहना सही है कि प्रकरण में डायरी अथवा खाता पेश नहीं है। स्वतः कहा कि मेरी व्यक्तिगत डायरी में लिखित है।

21. यह कहना गलत है कि आरोपी मेरे द्वारा क्रय किये जाने वाले मकान में निवास करता है उक्त मकान का देखरेख वह स्वयं करता था। यह कहना गलत है कि दिनांक–04.06.16 को मैने अपने द्वारा क्रय किये जाने वाले मकान के कमिशन स्वरूप आरोपी को राशि रूपये एक लाख रूपये प्रदान किया था। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्र0पी–7 का दस्तावेज आपने मकान के सौदा कभी हॉ कभी ना हो रहा था इसलिए सुरक्षार्थ लिखाया था। साक्षी का कहना है कि उक्त मकान आरोपी का नहीं है इसलिए आरेापी को पैसा देना नहीं बनता है।

22. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि दिनांक–04.06.16 के कितने दिन पश्चात मकान की रजिस्ट्री हुई। साक्षी का कहना है कि उक्त दिनांक के पूर्व अग्रिम बयाना हुआ था और बाद में रजिस्ट्री हुई थी।

23. यह कहना गलत है कि मैने प्र0पी–7 का दस्तावेज आरोपी को कमिशन के रूप में दी जाने वाली राशि प्रदान करते समय सौदा निरस्त होने की स्थिति में उक्त राशि के वापसी के सुरक्षार्थ लिखाया था। स्वतः कहा कि यह प्रकरण अलग है और वो प्रकरण अलग है।

24. यह कहना सही है कि मैने दिनांक –25.08.17 को जिन गवाहों के समक्ष नगद उधार देने का कथन कर रहा हूं उन गवाहों का नाम अपने परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र अंतर्गत धारा–145 में उल्लेखित नहीं किया हूं।

25. यह कहना गलत है कि मै दिनांक–25.08.17 को आरोपी को कोई उधार की राशि प्रदान नहीं किया था। प्र0पी–1 का चेक आरोपी ने मुझे दिनांक–25.08.17 को प्रदान किया था। उक्त प्रपी–1 का चेक दिनांक–25.08.17 को विनय और गणेश के सामने आरोपी ने मुझे प्रदान किया था।

26. यह कहना गलत है कि आरेापी और मेरे मध्य केवल 04.06.16 को संव्यहार हुआ था। यह कहना गलत है कि दिनांक–25.08.17 को कोई संव्यवहार नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि 25.08.17 को मेरे व आरोपी के समक्ष विनय और गणेश उपस्थित नहीं थे।

27. यह कहना गलत हे कि दिनांक–04.06.16 को हुए संव्यवहार के संबंध में आरोपी ने मुझे चेक प्रदान किया था जिसमें मै कूटरचना कर चेक का दुरूपयोग

किया हूं। यह कहना सही है कि प्र0पी–1 के अ से अ, ब से ब, स से स एवं द से द में किये गये संविष्टी मेरे द्वारा भरा गया है। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी को ठीक से लिखना नही आता है इसलिए मेरे द्वारा भरा गया है। यह कहना सही है कि प्र0पी–7 के ब से ब भाग में लिखित मेरे नाम को आरेापी ने स्वयं लिखा है। स्वतः कहा कि अपने नाम का स्पेलिंग और प्र0पी–7 में लिखे गये इबारत मै अन्य कागज में लिखकर बताया जिसे आरोपी ने देखकर उतारा है। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी को आज भी लिखना नहीं आता है।

28. यह कहना गलत है कि प्र0पी–1 के कोरे हस्ताक्षरित चेक में मैने अपना नाम, राशि व दिनांक प्रविष्टि किया। स्वतः कहा कि मैने आरोपी के समक्ष उक्त अ, ब, स की इबारत की प्रविष्टि की ।

29. यह कहना गलत है कि मै झूठ बोल रहा हूं। यह कहना गलत है कि प्र0पी–1 के हस्ताक्षर आरोपी ने पहले कर दिया था शेष प्रविष्ठियां बाद में की। यह कहना सही है कि प्र0पी–3 के अनादरण मेमो में बैंक कर्मचारी के हस्ताक्षर व बैंक की मुहर नहीं लगी है।

30. यह कहना सही है कि प्र0पी–4 के प्रथम पृष्ठ में किसी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्र0पी–5 के डाक रसीद में प्राप्तकर्ता के पूर्ण पता का उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि उक्त रसीद डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसके संबंध में मै नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि प्र0पी–6 के पावती अभिस्वीकृति में आरोपी के हस्ताक्षर नहीं है। स्वतः कहा कि आरोपी के पत्नि का हस्ताक्षर है।

31. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आरोपी को दो लाख रूपये आपने अपने बैंक खाता से निकालकर दिया था या कहीं अन्य से साक्षी का कहना है कि मै अपने व्यापार का पैसा जो बचत था उसे निकालकर दिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी ने मुझसे कोई उधार की राशि नहीं ली थी। यह कहना गलत है कि मैने आरोपी को बतौर कमिशन एक लाख रूपया दिया था जिसके सुरक्षार्थ चेक लिया था।

प्रतिपरीक्षण समाप्त।

समय–01:40 बजे।

वांचित/सत्य स्वीकृत

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

(गिरिवर सिंह राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर.....